कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022 **दिनांक 30/09/2025**

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

कृपया पत्र संख्याः41/छः-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 29.09.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना बहरियाबाद पुलिस टीम द्वारा 01 किलो 400 ग्राम नाजायज गाँजा के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 2.09.2025 को उ0नि0 अशोक कुमार शुक्ल मय हमराह द्वारा चेकिंग को दौरान मुखबिर की सूचना पर मिर्जापुर प्यारेपुर मार्ग पर नहर पुलिया से अभियुक्त सदन राम पुत्र स्व0 विश्राम नि0ग्राम मिर्जापुर थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर उम्र करीब 60 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 किलो 400 ग्राम नाजायज गाँजा बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-166/2025 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1.सदन राम पुत्र स्व0 विश्राम नि0 ग्राम मिर्जापुर थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर उम्र करीब 60 वर्ष।

बरामदगी-

01 किलो 400 ग्राम नाजायज गाँजा

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-166/2025 धारा-8/20 NDPS ACT थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर

02. थाना करण्डा पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट में वांछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण : अभियुक्त द्वारा 07 वर्ष की नाबालिक बच्ची को कोचिंग पढ़ाने की बात कहकर उसके साथ बलात्कार करना तथा थप्पड़ मारना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना करण्डा पर मु0अ0सं0 180/2025 धारा 65(2)/115(2)/351(3) बीएनएस व 5m/6 पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

अपराध एवं अपराधियों के विरुध्द चलाये जा रहे अभियान के तहत मुक़दमा उपरोक्त की विवेचना के क्रम में उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार उपाध्याय मय पुलिस बल के द्वारा दि0 28.9.2025 को वांछित अभियुक्त मुलायम यादव पुत्र बृजराज यादव निवासी सोकनी थाना करण्डा जनपद गाजीपुर उम्र 25 वर्ष की मुखबिर खास की सूचना पर धरम्मरपुर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता –

1. मुलायम यादव पुत्र बृजराज यादव निवासी सोकनी थाना करण्डा जनपद गाजीपुर उम्र 25 वर्ष।

03. थाना सैदपुर और उसकी "मिशन शक्ति केंद्र की टीम" द्वारा 25000 का इनामिया वांछित बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार व अन्य एक बदमाश गिरफ्तार जिनके कब्जे से 01अदद अवैध पिस्टल .32 बोर 1 अदद अवैध तमंचा.315 बोर व 03अदद खोखा कारतूस 03 अदद जिंदा कारतूस बरामद।

दिनांक 29.09.25 को मिशन शक्ति 5.0 के तहत अपराध एवम् अपराधियो के विरूध्द चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना प्रभारी निरीक्षक सैदपुर मय टीम क्षेत्र में भ्रमणशील थे जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि 25000 का इनामिया वांछित बदमाश व एक अन्य बदमाश कहीं भागने की फिराक में है अगर जल्दी किया जाए तो उसे पकड़ा जा सकता है इस सूचना को सही मानते हुए प्रभारी निरीक्षक सैदपुर द्वारा थाना सैदपुर मिशन शक्ति प्रभारी श्वेता कुमारी को सूचित करते हुए बदमाशों को घेर कर गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया सहमलपुर अर्ध निर्मित मकान के पास खुद को घिरा देख बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से निशाना लगाकर बदमाशों द्वारा फायर किया जाने लगा , पुलिस टीम द्वारा आत्मराक्षार्थ में संतुलित फायरिंग की गयी तो एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। जिसे तत्काल मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए जिला सीएचसी सैदपुर गाजीपुर उपचार हेतु भेजा गया व एक अन्य बदमाश मौके से गिरफ्तार किया गया।पुलिस मुठभेड़ एवं बरामदगी के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता घायल /गिरफ़्तार अभियुक्त-

1. चंद्रभान पुत्र पारसनाथ ग्राम बरिया थाना करंडा जनपद गाज़ीपुर(घायल)

अपराधिक इतिहास:-

* मु० अ० स० 709/2015 धारा 41 411 414 419 420 467 468 471 भादवि थाना करंडा जनपद गाज़ीपुर।
* मु० अ० स०217/23 धारा 406भादवि थाना कोतवाली जनपद गाज़ीपुर।
* मु० अ० स० 356/15 धारा 394 411 भादवि थाना शादियाबाद जनपद गाज़ीपुर।
* मु० अ० स०200/25 धारा 109(1) 115(2) 191(2)351(3)352 BNS 3/35 ARMS ACT थाना सैदपुर जनपद गाज़ीपुर
* मु० अ० स० 344/25 धारा 109(1) BNS 3/25 ARMS ACT थाना सैदपुर जनपद गाज़ीपुर।

2.पवन पुत्र जमुना ग्राम बरिया थाना करंडा जनपद गाजीपुर (गिरफ़्तार)

बरामदगी

* 01अदद अवैध पिस्टल.32 बोर
* 01अदद अवैध तमंचा .315 बोर

* 03 अदद खोखा कारतूस
* एक अदद मोटरसाइकिल

5. 03 अदद जिंदा कारतूस

04. थाना कासिमाबाद पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में घायल, जिसके कब्जे से एक अदद तमंचा .315 बोर व 02 अदद खोखा कारतूस .315 बोर बरामद ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 29.06.2025 को थाना कासिमाबाद पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-365/25 धारा 308(5)/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.दिव्यांशु उर्फ जिलाजीत पुत्र इंद्रासन यादव निवासी राजापुर कला थाना कासिमाबाद जिला गाजीपुर 2. बादल यादव पुत्र रामाशीष यादव ग्राम साद्दोपुर थाना करीमुद्दीनपुर को गिरफ्तार किया गया था। बाद पूछताछ अभियुक्त बादल यादव द्वारा बताये गये स्थान पर उपरोक्त मुकदमा में प्रयुक्त तमंचा व कारतूस की बरामदगी हेत प्रभारी निरीक्षक कासिमाबाद मय हमराह द्वारा कासिमाबाद मऊ रोड पर पुर्वांचल के निकट टोडार जाने वाले तिराहे पर पहुँचे कि अभियुक्त बादल द्वारा चिल्लाकर गाड़ी रोकने के लिए बताया तो और जैसे ही गाड़ी धीमी हुई तभी पीछे शीट पर बैठे अभियुक्त बादल द्वारा हमराह को धक्का देकर ग्राम टोडार की तरफ भागा तत्काल पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया तो अभियुक्त गिब-वे बोर्ड के पास घास व सरपत में छिपाकर रखा तमंचा व कारतूस निकालकर ललकारते हुये जान से मारने की नियत से एक फायर किया गया, पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ में संतुलित फायरिंग की गयी तो एक बदमामश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया जिससे घायल अभियुक्त को तत्काल ईलाज हेतु सी.एच.सी. कासिमाबाद भेजा गया। पुलिस मुठभेड़ एवं बरामदगी के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूर्व घटना का विवरणः-

दिनांक 28.09.25 को श्री प्रदीप यादव पुत्र राम नगीना यादव ग्राम शाहबाजपुर पोस्ट कासिमाबाद थाना कासिमाबाद जिला गाजीपुर ने सूचना दिया कि मेरी एक JCB चलती है जिसको देखकर दिव्यांशु उर्फ जिलाजीत पुत्र इंद्रासन यादव मुझे धमकी देकर मुझसे 28 हजार रुपये रंगदारी के रूप में ले लिए। मैंने धन्धा करने के कारण पैसे देकर संतोष कर लिया था। इसके बाद मो0 नं0 से पैसे की रंगदारी लेने के लिए बार-2 फोन से धमकी आ रही थी मैंने अनसुना कर दिया दिनांक 27.9.25 को महडौर से अपने घर आ रहा था समय 7:30 बजे रात्रि को परजीपाह पहुंचा तो रास्ते में सड़क पर दिव्यांशु उर्फ जिलाजीत पुत्र इंद्रासन यादव निवासी राजापुर कला थाना कासिमाबाद, बादल यादव पुत्र रामाशीष यादव ग्राम साद्दोपुर थाना करीमुद्दीनपुर, सोनू यादव उर्फ परमवीर पुत्र मोतीलाल यादव ग्राम मरदानपुर थाना कासिमाबाद, अजीत गोड पुत्र अज्ञात ग्राम नहुला थाना बरेसर ,रुदिल यादव पुत्र अज्ञात ग्राम अन्यायीपुर थाना बरेसर, निखिल यादव पुत्र अज्ञात ग्राम अन्यायीपुर थाना बरेसर मिले और मुझसे रोककर मेरी कनपटी पर पिस्टल सटाकर बोले कि कल 1 लाख रूपया लाकर दे देना नहीं तो तुम्हें गोली मार देंगे मौके पर आने जाने वाले लोग आ गये। तब वह लोग जान से मारने की की धमकी देते हुए चले गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1.जिलाजीत उर्फ दिपांशू पुत्र इन्द्राशन यादव नि0 राजापुर कला थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर (गिरफ्तार)

2. .बादल पुत्र रामशीष यादव नि0 सद्दोपुर थाना करीमुद्दीनपुर थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर (पुलिस मुठभेड़ में घायल)

<u>अभियुक्त का आपराधिक इतिहास</u>

* **1.जिलाजीत उर्फ दिपांशू पुत्र इन्द्राशन यादव नि0 राजापुर कला थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर (गिरफ्तार)**

1. मु0अ0सं0-132/2018 धारा 352/504/506 भादवि थाना बरेसर, गाजीपुर
2 मु0अ0सं0-193/20 धारा 352/504 भादवि थाना बरेसर, गाजीपुर
3. मु0अ0सं0-367/24 धारा 117(2),140(3) भादवि थाना रसड़ा जनपद बलिया
4.मु0अ0सं0-365/25 धारा 109(1)/351(3) बीएनएस थाना कासिमाबाद,गाजीपुर

2.बादल पुत्र रामशीष यादव नि0 सद्दोपुर थाना करीमुद्दीनपुर थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर (पुलिस मुठभेड़ में घायल)

1. मु0अ0सं0-212/21 धारा 147/323/325/506 भादवि थाना करीमुद्दीनपुर
2. मु0अ0सं0-83/22 धारा 34/379/411 भादवि थाना करीमुद्दीनपुर
3. मु0अ0सं0-209/25 धारा 115(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना करीमुद्दीनपुर
4. मु0अ0सं0-20/24 धारा 120बी, 147/148/307/323/325/342/427/504 बीएनएस व 3(1)द,ध 3(2) एससी/एसटी एक्ट 2 बीएनएस थाना मोहम्मदाबाद
5. मु0अ0सं0-365/25 धारा 109(1)/351(3) बीएनएस थाना कासिमाबाद,गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर